फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

गायत्री देवी बनाम सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर व अन्य

केस संख्या 83 / 2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
14.05.2024	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता उपस्थित है। उभय पक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 07 / 2023 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 7 / 2023 व उनवानी गायत्री देवी बनाम नानू सिंह व अन्य में पीठासीन अधिकारी श्रीमती श्यामा राठौड़ आर.ए.एस. से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। उभय पक्ष अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि उक्त पत्रावली का सुनवाई क्षेत्राधिकार परिवर्तन होकर वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबड़ी के न्यायालय में अन्तरित हो चुकी है। पत्रावली अन्य न्यायालय में अन्तरित हो जाने से पूर्व न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) आमेर के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शून्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर, जयपुर.	